निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

तारीख दायरा 07.07.2020

प्रकरण संख्या 3/2010

उनवान

1. काली बाई पुत्री भजनलाल पत्नी चौथमल आयु 65 वर्ष जाति मीणा निवासी जिठानी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. शान्तिबाई पुत्री भजनलाल पत्नी मूलचन्द आयु 62 वर्ष जाति मीणा निवासी भूलाहेडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. चमेलीबाई पुत्री भजनलाल पत्नी रामकिशन आयु 60 वर्ष जाति मीणा निवासी लेवा तहसील बारां जिला बांरा राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत लटूरी जरिये सरपंच लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. बृजमोहन बाई पुत्री भजनलाल पत्नी रतनलाल जाति मीणा निवासी भूलाहेडी तहसील सांगो जिला कोटा।

– प्रतिवादीग

अपील बनाराजगी इन्तकाल नं0 87

ग्राम पंचायत लटूरी दिनांक 05.11.2009

दिनांक 19.11.2

उपस्थित :–

1. श्री अब्दुल वहीद अंसारी वादी वकील
2. श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता वकील प्रतिवादीगण

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आ प्रस्तुत किया है कि अधीनस्त न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2009 कानून तथ्य एवं स न्याय के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्त न्यायालय द्वारा आदेश 05.11.2009 को पटवारी हलका की रिपोर्ट को अनदेखा करके फौती इन्तकाल दर्ज न कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:24:37 IST
Reason: SelfAttested

बेचान के वाद शेष भूमि पर वारिसान का नाम दर्ज करने का आदेश देने मे त्रुटि की है, जो निरस्तनीय है। अधीनस्त न्यायालय ने बिना आम सभा व कौरम के एकल सरपंच द्वारा जरिये अपील आदेश दिनांक 05.11.2009 देने में त्रुटि की है, जो निरस्तनीय है। अधीनस्त न्यायालय ने आदेश जरिये अपील देने से पूर्व एल0आर0एक्ट के प्रावधान 133,135 की पालना नहीं करें त्रुटि की है, इस कारण भी आदेश जरिये अपील निरस्तनीय है। अधीनस्त न्यायालय ने आदेश जरिये अपील देते वक्त अपने व्यक्ति को लाभ पहूंचाने को ध्यान में रखते हुये जो आदेश दिया है, वह कानूनन गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि पटवारी हलका द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार का कोई नोट दर्ज नहीं किया गया है। अधीनस्त न्यायालय को केवल फौती इन्तकाल खोलना था परन्तु अधीनस्त न्यायालय द्वारा अपनी और से केता विकेता का हवाला देकर जो आदेश दिया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश जरिये अपील का ज्ञान वादीगण को पटवारी हलका से नकले प्राप्त करने पर दिनांक 09.06.2010 को होने पर अपील अवधि मध्य पेश है।

अतः अपील अवधि मध्य प्रस्तुत कर निवेदन है कि आदेश दिनांक 05.11.2009 इन्तकाल नं0 87 अधीनस्त न्यायालय ग्राम पंचायत लटूरी निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय की अपील पेश होने पर अपील को दर्ज कर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित है, अतः प्रतिवादी 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं.2 की तरफ से वकील श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता ने वकालतनामा पेश किया परन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं किया। वकील वादी द्वारा बहस की गई। बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में निम्न तथ्यों को जाहिर किया गया –

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:24:37 IST
Reason: SelfAttested

1. दिनांक 5.11.09 को एक साथ दो इंतकाल सं. व खोले गए जिनमें पहला इंतकाल सं.87 में वादीगण को भजनलाल के विधिक वारिस जानना जाकर उनके पक्ष में इंतकाल खोला गया जब विधिक वारिसान का निर्धारण इंतकाल में कर दिया गया था तो उसी इंतकाल में विक्रय का हवाला देकर विक्रय से शेष भूमि का ही इंतकाल खोला जाना अनुचित था।

2. इंतकाल सं. 87,88 ग्राम पंचायत द्वारा एक ही फर्द पर खोले गए हैं जो कि विधिक रूप से सही नहीं होने से खारिज योग्य हैं।
3. विवादित आराजी में से प्रतिवादीगण को हुआ बेचान भूमि के रहन होने की स्थिति में किया गया था, इसलिए बेचान अवैद्य है।
4. उक्त आराजी भजनलाल को अपने पिता गैंदीलाल से मिली थी जिसके पक्ष में जमाबंदी संवत 2016 से 20 का अवलोकन कराया गया। संवत 2050 से 53 में उक्त आराजी भजनलाल के नाम आई। भजनलाल को सम्पति पैतृक होने के कारण अपने हिस्से से अधिक भूमि के बेचान का अधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिए बेचान शून्य है एवं शून्य बेचान के आधार पर खोला गया नामांतरण भी प्रभाव शून्य होना चाहिए।

वकील प्रतिवादी द्वारा बहस में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए गए। वकील वादी द्वारा दिनांक 2.1.07 के पंजीकृत बेचान नामे के विरूद्ध खातेदारी की उद्घोषणा के तहत एक अन्य दावा कालीबाई वगै. बनाम भजनलाल वगै.(13/07) इसी न्यायालय में लंबित है। वकील वादी समान तथ्यों का रिलीफ नामांतरण अपील में चाहते हैं जबकि उन्हें अपने खातेदारी अधिकार रेगुलर सूट में तय कराने चाहिए। अतः प्रथम दृष्टयांत अपील नामांतरण खारिज योग्य है। वादीगण का खातेदारी उद्घोषणा का वाद दिनांक 13/2/2007 का है जबकि प्रतिवादीगण के पक्ष मे जरिये रजिस्ट्री बेचान 2.1.2007 का है।

वादीगण मीणा जनजाति के हैं। अतः सभी वादीगण के पुत्रियां होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के आधार पर वादीगण का कोई विधिक उत्तराध्किार नहीं है।

यह स्पष्ट है कि तहसीलदार [illegible] के आधार पर पंजीकृत बेचाननामे को दरकिनार कर अपने स्तर पर खातेदारी निर्धारित नहीं कर [illegible] अतः पत्रावली रिमांड करने से भी प्रकरण में मात्र देरी होना निश्चित है। [illegible] पर अपने खातेदारी उद्घोषणा सक्षम न्यायालय से करावें, तत्पश्चात ही राजस्व रेकार्ड में कोई [illegible]रिवर्तन किया जाना संभव होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:24:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में नामांतरण की अपील निर्धारित की जाती है। अपील के स्तर पर किसी प्रकार के साक्ष्य प्राप्त कर निर्धारण नहीं किया जाना होता है। इसलिए प्रकरण को इस स्तर पर

मेरिट पर डिस्पोजल करना मैं उचित नहीं समझती हूँ। चूंकि इसी न्यायालय में वादीगण द्वारा खातेदारी की उद्घोषणा हेतु एक अन्य वाद पंजीकृत बेचाननामा 2.1.2007 को निरस्त कर स्वयं के पक्ष में खातेदारी उद्घोषणा करवाया जाने का लंबित है, अतः पहले अपनी खातेदारी उद्घोषणा करवाया जाने की प्रकिया पूर्ण करानी होगी, तत्पश्चात ही तहसीलदार द्वारा राजस्व रेकार्ड में कोई फेरबदल किया जाना संभव होगा। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत लटूरी के द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर नामांतरण दर्ज करने का प्रश्न है तो अधीनस्थ न्यायालय पंजीकृत विकय नामे के आधार पर नामांतरण दर्ज करने के लिए बाध्य था। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत लटूरी को खातेदारी उद्घोषणा संबंधी कोई शक्तियां प्राप्त नहीं थी। अतः नामांतरण सं. 88 मिसल नं. 3/2010 कोई विधिक त्रुटि नहीं की है, परन्तु चूंकि प्रकरण में खातेदारी उद्घोषणा से संबंधित वाद लंबित है अतः प्रतिवादीगण एवं तहसीलदार को पाबंद किया जाता है कि वाद सं. 13/07 अंतर्गत धारा 53,88,92A,188 के अंतिम निर्णय के पूर्व रेकार्ड में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं करें। शेष अपील खारिज की जाती है।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:24:37 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 19.11.2020 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद